ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

पत्रांक:- 372522 पटना, दिनांक :- 31/05/18

ग्रा.वि -08(य)-133/2011

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
निदेशक (सा0वा0)।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों, Good Governance अंतर्गत लिये गये Initiatives से सम्बंधित फोटोग्राफ्स एवं मनरेगा के कार्यान्वयन में लिये गये नवप्रवर्तन (innovation) के प्रदर्शण हेतु एक-दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के संबंध में ।**

प्रसंग: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं K-11023/1/2/2018-RE(IV) (362181) दिनांक 15.05.2018 एवं विभागीय पत्रांक 370557 दिनांक 21.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र, आप अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा अन्तर्गत Good Governance Initiatives एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद सृजित परिसम्पत्तियों के प्रदर्शन हेतु नई दिल्ली में "प्रतिबिम्ब-मनरेगा" शिर्षक से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है । इस क्रम में उपर्युक्त विभागीय पत्र द्वारा दिनांक 30.05.2018 को विभाग में बैठक सह प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया गया था ।

बैठक में प्रत्येक जिला से एक कार्यक्रम पदाधिकारी को IEC पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए भाग लेने का निदेश दिया गया था, परन्तु मात्र 20 जिलों से ही IEC पदाधिकारी-सह-कार्यक्रम पदाधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हुए । अरवल, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, शेखपूरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं वैशाली जिला से किसी भी प्रतिभागी द्वारा बैठक-सह- कार्यशाला में भाग नहीं लिया गया जो अत्यंत खेद का विषय है । इन जिलों के उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक इस सम्बन्ध में दोषी कर्मी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 04.06.2018 तक अपना मंतव्य विभाग को समर्पित करेंगे । अन्य जिलों द्वारा प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफ्स भी गुणवत्ता एवं रिजोल्यूशन के स्तर से संतोषजनक नहीं थे जिन्हे विभाग द्वारा मार्गदर्शन देते हुये पुनः प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

विभाग द्वारा पुनः दिनांक 07.06.2018 को 10:00 बजे पूर्वाहन से उपरोक्त विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी जिलों की भागीदारी अनिवार्य है । प्रत्येक जिला द्वारा कुल 60 फोटोग्राफ्स यथा सृजित परिसम्पत्तियों के 40 + Good Governance के 20 (प्रत्येक initiative से न्यूनतम 2) का विवरण सहित प्रदर्शन एवं विभाग को समर्पित किया जायेगा ।

विदित हो कि सिर्फ उत्तम गुणवत्ता एवं उच्च रिजोल्यूशन वाले फोटोग्राफ्स हीं मान्य होंगे । इसके लिये पेशेवर फोटोग्राफर्स की सेवा भी ली जा सकती है जिसका भुगतान जिला/प्रखंड के आकस्मिकता मद से किया जायेगा । प्रत्येक फोटोग्राफ में निम्न सूचनायें अंकित होनी चाहिये :-

क. परिसम्पत्ति का लोकेशन: पंचायत- प्रखंड- जिला-

ख. कुल व्यय- मजदूरी- सामग्री-

ग. सृजित मानव दिवस

घ. परिसम्पत्ति की उपयोगिता-

इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्यान्वयन में लिये गये नवप्रवर्तन (innovation) यथा जॉबकार्ड आवेदन की प्राप्ति, काम की मांग का निबन्धन, अभिलेख संधारण, मनरेगा कर्मियों के प्रशिक्षण, सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव इत्यादि, जिससे इनकी प्रगति प्रतीत होती हो, से संबंधित विवरण (documents & photographs) का जिलों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जायेगा । प्रत्येक जिला से कम से कम एक नवप्रवर्तन (innovation) का प्रदर्शन अनिवार्य है ।

अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद सृजित परिसम्पत्तियों एवं Good Governance initiatives (नागारिक सूचना पट्ट, 7 रजिस्टर, जॉब कार्ड, केस रिकॉर्ड एवं रोजगार दिवस) के तहत किये गये कार्यों की फोटोग्राफी करा ली जाय तथा जिला अंतर्गत मनरेगा हेतु नामित IEC पदाधिकारी को फोटोग्राफ्स के सॉफ्ट कॉपी एवं प्रदर्शन हेतु Power Point Presentation के साथ दिनांक 07.06.2018 को आयोजित प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम भाग लेने हेतु निदेशित किया जाय । इसके पूर्व जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर **राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन योग्य फोटोग्राफ्स** का स्वयं अपने स्तर से चयन कर राज्य स्तरीय कार्यशाला में भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

(सी0पी0 खण्डूजा)

निदेशक (सा0वा0)

पत्रांक:- 3725/2 पटना, दिनांक :- 31/05/18

ग्रा.वि -08(थ)-133/2011

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक (सा0वा0)

पत्रांक:- 3725/2 पटना, दिनांक :- 31/05/18

ग्रा.वि -08(थ)-133/2011

प्रतिलिपि:- सौरभ कुमार, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

31/05

निदेशक (सा0वा0)